# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

**पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी**

**राजस्व प्रकरण संख्या 196 / 2025**

दायर तारीख 13.11.2025

**अनवान**

1. नंदूबाई पुत्री रामा पत्नि नन्दकिशोर जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मोतीपुरा हाल मुकाम उम्मेदरामजी का खेड़ा, विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. सुमित्रा पुत्री रामा पत्नि लादूलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मोतीपुरा हाल मुकाम तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..........प्रार्थीगण

**बनाम**

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........... विपक्षी

**उपस्थित :– 01.** श्री मनीष धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीगण।
02. पैरोकार सरकार।

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

## –: निर्णय :–

दिनांक 12 / 01 / 2026

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां स्थित वर्तमान खाता संख्या 95 आराजी संख्या 100 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी संख्या 194 / 1 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, आराजी संख्या 194 / 4 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 197 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, आराजी संख्या 303 / 92 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी संख्या 95 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, आराजी संख्या 96 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, आराजी संख्या 97 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आराजी संख्या 99 रकबा 0.1942 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 1.8938 हैक्टेयर भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर सामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं।

उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता स्व. रामा के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत नामान्तरण होकर फोरी पुत्री रामा, सुमिया पुत्री रामा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर चली आ रही हैं।

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

खातेदार प्रार्थीगण फोरी पुत्री रामा, सुमिया पुत्री रामा के नाम वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में अंकित है। जबकि प्रार्थीगण अन्य दस्तावेज में वास्तवीक नाम नन्दूबाई पुत्री रामा, सुमित्रा पुत्री रामा दर्ज होकर चले आ रहे हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण का नाम फोरी पुत्री रामा **के बजाय नंदूबाई पुत्री रामा** व सुमिया पुत्री रामा **की बजाय सुमित्रा पुत्री रामा** राजस्व रेकॉर्ड में सुधारने के आदेश विपक्षी को प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/3192 दिनांक 16.12.2025 द्वारा तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट ली गयी।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/2110 दिनांक 31/12/2025 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की जो शामिल पत्रावली हैं। तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि पटवारी हल्का रेसुन्दा अनुसार ग्राम मोतीपुरा में नन्दूबाई उर्फ फोरी व सुमिया उर्फ सुमित्रा पुत्री रामा के खाता सं. 95 में नाम संशोधन के सन्दर्भ में जांच करने मौके पर मोतीपुरा के मजमेंआम में जांच की गयी। मौके पर उपस्थित मौतविरानो ने बताया कि नन्दूबाई व सुमित्रा पुत्री रामा की ही पुत्रिया है। ग्रामवासियो द्वारा बताया की नन्दू बाई को उपनाम फोरी एवं सुमित्रा को उपनाम सुमिया से कहा जाता है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में नाम नन्दू बाई व सुमित्रा ही है। फोरी व सुमिया इनके उपनाम है। ग्राम मोतीपुरा में नन्दूबाई व सुमित्रा नाम से अन्य कोई रामा की पुत्रिया नही है। नन्दुबाई व फोरी एवं सुमिया व सुमित्रा दोनो नाम एक ही हैं तथा दोनो रामा की पुत्रिया हैं इनके अतिरिक्त ग्राम मोतीपुरा में कोई नन्दूबाई व सुमित्रा पुत्रिया रामा नही है। उक्त के अतिरिक्त कोई गलत तथ्य होने के सन्दर्भ में समस्त जिम्मेदारी मौतविरानो द्वारा ली गई है। अतः उक्तानुसार रिपोर्ट की प्रति, मौका पर्चा एवं जमाबन्दी नकल की प्रतियां संलग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम मोतीपुरा प0ह0 रेसुन्दा सम्वत् 2073 से 2076, जमाबन्दी विरासत नामान्तरण की प्रमाणित प्रति, प्रार्थीगण का पेनकार्ड, प्रार्थीगण का आधारकार्ड, प्रार्थीगण के जनआधार कार्ड की रसीद की प्रतियां संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

निरन्तर पेज संख्या 03 पर

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार उक्तानुसार आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम फोरी पुत्री रामा **के बजाय नंदूबाई पुत्री रामा** व सुमिया पुत्री रामा **की बजाय सुमित्रा पुत्री रामा** राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहा हैं एवं पैराकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत किया हैं।

पैरोकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया कि मौजा ग्राम मोतीपुरा में नन्दुबाई व फोरी एवं सुमिया व सुमित्रा दोनों नाम एक ही हैं तथा दोनो रामा की पुत्रिया हैं इनके अतिरिक्त ग्राम मोतीपुरा में कोई नन्दूबाई व सुमित्रा पुत्रिया रामा नही होना अंकित किया है। उक्तानुसार प्रार्थीगण का नाम शुद्ध किये जाने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब एवं दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

## –: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां स्थित वर्तमान खाता संख्या 95 आराजी संख्या 100 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी संख्या 194/1 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, आराजी संख्या 194/4 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 197 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, आराजी संख्या 303/92 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी संख्या 95 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, आराजी संख्या 96 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, आराजी संख्या 97 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आराजी संख्या 99 रकबा 0.1942 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 1.8938 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम फोरी पुत्री रामा **के बजाय नंदूबाई पुत्री रामा** व सुमिया पुत्री रामा **की बजाय सुमित्रा पुत्री रामा** राजस्व रेकॉर्ड में सुधार किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 12/01/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां